न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 46/2021
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

–प्रार्थी

बनाम

प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह रामगढिया निवासी चक केरा तहसील सादूलशहर जिला श्री गंगानगर। (फौत) जरिये विधिक उतराधिकारी

1. अमरजीत कौर पत्नी प्रतापसिंह
2. जसवीन्द्र सिंह उर्फ कुका पुत्र प्रतापसिंह
3. बलविन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह (फौत) जरिये विधिक उतराधिकारी
   3(1) गगनदीपकौर पुत्री बलविन्द्रसिंह
   3(2) शरणदीप कौर पुत्री बलविन्द्रसिंह
4. सुखजीतकौर उर्फ गुड्डी पुत्री प्रतापसिंह
5. मनदीप कौर पुत्री प्रतापसिंह
   अकवाम रामगढिया निवासी चक केरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी वार्ड नं. 31 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. गुरनामसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जाट(जटसिख) निवासी वार्ड नं. 19 रावतसर।
8. गुरमीतकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति जाट(जटसिख) निवासी वार्ड नं. 19 रावतसर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– पेरोकार राज–प्रार्थी
श्री विनोद कुमार स्वामी वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 6
अप्रार्थी सं0 7, 8

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 229 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 02.12.2019 को जारी खातेदारी अधिकार यथा प्रस्तावित को निरस्त करवाने बाबत

निर्णय दिनांक– 09.04.2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राजपेरोकार तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा श्रीमान न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व तहसील रावतसर के चक 109 आरडी के प.न. 50/15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 कुल 39 बीघा अ.क. कृषि भूमि के यथाप्रस्तावित अंकन सहित राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक काबिल काश्त के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह के नाम का अंकन कर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारो का नामान्तरकरण करने तहसीलदार (राजस्व) आदेश दिनांक 02.12.2019 को दिये गये। हस्तगत प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के क्रमांक एफ. 12 (12) (161) राजस्व/21/2961 दिनांक 18.08.2021 व श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय रावतसर के पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 23.07.2021 से ज्ञात हुआ है कि उक्त प्रकरण रकबा बहाली से सम्बधित था। श्रीमान न्यायालय में तहसीलदार राजस्व रावतसर के पत्रांक 213 दिनांक 27.11.2019 की प्रति अप्राप्त थी तथा चक 109 आरडी प.न. 50/15 के कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अ.क. रकबा के बहाली आदेश का कोई अंकन श्रीमान न्यायालय में दर्ज रजिस्टर में था और ना ही इस सम्बध में कोई दस्तावेज श्रीमान न्यायालय में उपलब्ध है। अतः हस्तगत यथाप्रस्तावित आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सन्देहास्पद है। श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय रावतसर के पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 23.07.2021 से ज्ञात हुआ कि मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर उक्त प्रकरण रकबा बहाली प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केरा चक को 109 आरडी के प.न. 50/15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अ.क. भूमि के आवंटन पत्रावली में आदेशिका संलग्न नहीं है। पत्रावली के अन्य दस्तावेजो में संलग्न कार्यालय टिप्पणी अनुसार उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित भूमि की पत्रावली काफी पुरानी होने से कागजात फट चुके है, का अंकन है। लेकिन श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को तहसीलदार राजस्व रावतसर के पत्र क्रमांक टी.आर.ए./19/213 दिनाक 27.11.2019 पर ही यथाप्रस्तावित अंकित कर आवंटित प्रश्नगत कृषि भूमि को बहाल कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये। साथ ही अप्रार्थी स. 2 द्वारा प्रस्तुत खातेदारी सनद क्रमांक 4350 दिनांक 05.04.1984 द्वारा श्रीमान एसीसी सुरतगढ के आधार पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये। चुकि प्रश्नगत रकबा राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक काबिल काश्त अंकित था तथा श्रीमान एसीसी सुरतगढ द्वारा आवंटी को आवंटित 39 बीघा अ.क. भूमि का कब्जा नही लेने पर आवंटन निरस्त किया गया था। इसके उपरान्त भी दिनांक 02.12.2019 को दिया गया आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यही आधार पुर्नविलोकन याचिका है। उक्त यथाप्रस्तावित आदेश दिनांक 02.12.2019 से सम्बधित कोई भी अपील/रिविजन अन्य न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रिव्यु ईल्म से अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को चक 109 आरडी के प.न. 50▫15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अ.क. कृषि भूमि के सम्बध में दिये गये रकबा बहाली व खातेदारी अधिकार के अंकन का आदेश निरस्त करने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज फोटोप्रति खातेदारी आदेश यथाप्रस्तावति 02.12.2019, फोटोप्रति पत्राक 1889 दिनांक 23.07.2021, फोटोप्रति वारीसनामा प्रतापसिंह, मृत्युप्रमाण पत्र प्रतापसिंह पेश किये।

प्रार्थना पत्र रिव्यु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज प्रमाणित प्रति मूल आवंटन पत्रावली प्रतापसिह पुत्र भागसिंह, क्षेत्रीय अधिकारी रा[illegible] पत्र दिनांक 12.07.2021 व दिनांक 13.07.2021 की प्रमाणित प्रति, उपखण्ड कार्यालय के क्रमांक 1889 दिनांक 23.07.2021 की प्रमाणित प्रति पेश किये।

दिनांक 27.09.2021 को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने जरिये [illegible]ल श्री विनोदकुमार स्वामी जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे शामिल फाईल किया गया। अपने जबाब में लिखा कि" रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं तहसीलदार(राजस्व) रावतसर के क्रमाक/टी.आर.ए./खाता/19/213 दिनांक 27.11.2019 द्वारा पटवारी हल्का रिर्पोट, रकबे की मौका व रिर्कोड की जांच करवाई जाकर सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी रावतसर को प्रेषित किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार जांच कर जसविन्द्र सिह पुत्र प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया साकिन केरा चक को चक 109 आर. डी. में आंवटित भूमि का सैल रजिस्टर में खाता खोलने एवं किश्ते जमा करवाने की स्वीकृति दी। उक्त आदेश श्रीमान न्यायालय द्वारा विधि सम्वत आदेश जारी किए गए है। रिव्यु की मद सं. 3 अस्वीकार हैं। तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा दिनांक 27.11.2019 को तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार और अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त के अनुसार व सम्पुर्ण राशि राजकोश में जमा करवाने के पश्चात् उक्त कृषि भुमि चक 109 आर.डी.के प0न0 50/15 किला नं. 1 ता 14 की 14 बीघा व प0न0 50/31 के किला नं. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि को बहाल कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। जब रकबा प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह के नाम आंवटन शुदा था और कब्जा काश्त अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहाल करने के आदेश दिए गए है और तहसीलदार (राजस्व) द्वारा सम्पुर्ण जांच कर कब्जा काश्त की रिर्पोट के अनुसार रकबा बहाल किया गया है। जो न्यायालय द्वारा जारी आदेश है। अगर तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को उक्त निर्णय बाबत् आक्षेप था तो उसी समय या आदेश की अपील अन्दर मियाद 30 दिन कर सकता था। परिसीमा अधिनियम की धारा 124 के तहत रिव्यु प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन हैं। उक्त आदेश का तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को निर्णय की दिनांक 02.12.2019 से ज्ञान है। लेकिन तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा ज्ञान होने के बावजुद और उक्त आदेश की न तो अपील पेश की है और न ही रिव्यु अन्दर मियाद पेश किया। 1 वर्ष 8 माह बाद रिव्यु पेश किया है जो अन्दर मियाद नही होने के कारण खारिज किया जावे। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार हैं। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 अस्वीकार हैं। रिव्यु प्रस्तुत करने की मियाद आदेश या डिकी के विरूद 30 दिन नियत हैं। उक्त आदेश दिनांक 02.12.2019 को जारी किया गया हैं और रिव्यु दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश का ज्ञान तहसीलदार द्वारा राजस्व रावतसर को दिनांक 02.12.2019 से हैं और तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा उक्त कृषि भुमि बाबत् उच्च अधिकारियों को जबाब प्रस्तुत किये हैं। इसलिए तहसीलदार रावतसर को उक्त निर्णय दिनांक 01.12.2019 को भलीभांति ज्ञान था। आज तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त निर्णय का ज्ञान उपखण्डाधिकारी रावतसर के पत्र क्रमांक 18[illegible] 23.07.2021 से हुआ। तहसीलदार राजस्व रावतसर को पूर्व में भी उक्त रकबा बहाल [illegible] जानकारी थी और निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उक्त [illegible] नहीं की और न ही रिव्यू प्रस्तुत किया। दिनांक 05.03.2021 पत्रांक राजस्व/2021/586[illegible] उपखण्डाधिकारी रावतसर के द्वारा जारी लेटर पर दिनांक 22.03.2021 को क्रमांक/राजस्व/2021/219 दिनांक 19.03.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

Sanjay

सहायक [illegible] एवं
उपखण्ड [illegible]
रावतसर

2021 को तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा जबाब प्रेषित किया। इसलिए तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त निर्णय का ज्ञान दिनांक 23.07.2021 को हुआ हैं। अप्रार्थीगण को श्रीमान् न्यायालय द्वारा विधि सम्मत उक्त कृषि भुमि को बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त बहाली के पश्चात सम्पूर्ण किश्तें अप्रार्थीगण द्वारा जमा कराई जाकर खातेदारी रकबा को बेचान किया हैं।

अतिरिक्त कथन में लिखा कि अप्रार्थीगण के पिता व पति प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह रामगढिया निवासी चक केरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर, राज० के नाम से न्यायालय सहायक उपनिवेशन एवं सहायक कलैक्टर रा.न.यो. सुरतगढ़ के आंवटन क्रमांक 4350 दिनांक 05.04.1983 व तहसीलदार राजस्व रावतसर के आदेश क्रमांक टी आर ए/19/213 दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्रस्तावित आंवटित रकबे को बहाल कर उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा स्वीकृत आदेश दिनांक 02.12.2019 की पालना में तहसीलदार राजस्व रावतसर के आदेश क्रमांक टीआरए/19/218 दिनांक 04.12.2019 से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की पालना में जरिये इन्तकाल नम्बर 202 दिनांक 27.12.2019 से सिवाय चक काबिज काश्त से प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केरा चक गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ था तथा जरिये इन्तकाल नम्बर 204 दिनांक 07.02.2020 से उक्त रकबा खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ। उक्त रकबा जरिये बैयनामा इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.03.2020 से पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 1 ता 10 की 2.530 हैक्टेयर तारामणी पत्नि उदाराम जाति जाट निवासी खेदासरी व पत्थर नम्बर 50/15 (5) के किला नम्बर 1 ता 14 व पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 11 ता 25 की 7.3370 हैक्टेयर कृष्णा पत्नि इन्द्राज जाति जाट के रूप में दर्ज हुई। उक्त रकबा जरिये इन्तकाल नम्बर 210 दिनांक 05.08.2020 से पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 1 ता 10 रकबा 2.5300 हैक्टेयर बेचान से गुरनामा सिंह पुत्र करतारसिंह निवासी रावतसर के रूप में दर्ज हैं। इन्तकाल नम्बर 211 दिनांक 05.08.2020 से पत्थर नम्बर 50/31 (7) किला नम्बर 11 ता 25 रकबा 3.795 हैक्टेयर गुरमीतकौर पत्नि गुरनामसिंह निवासी रावतसर के रूप में दर्ज हैं व कृष्णादेवी पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी खेदासरी द्वारा चक नम्बर 109 आर.डी. के पत्थर नम्बर 50/15 (5) के किला नम्बर 1 ता 14 कुल 3.542 हैक्टेयर जरिये बैयनामा ओमप्रकाश तरड़ पुत्र भागीरथ निवासी रावतसर को बेचान कर दिया जो उक्त कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं और फसल काश्त कर रखी है और बैयनामा का नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। प्रार्थी तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा उप पंजीयक की हैसियत से सम्पूर्ण [illegible] किये है और नामान्तरण भी दर्ज किए हैं। इसलिए प्रार्थी [illegible] उक्त कृषि भूमि बाबत् दिनांक 23.07.2021 को ज्ञात हुआ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता [illegible] सिर्फ उक्त रिव्यू को मियाद में लेने हेतू दर्ज की गई हैं। रिव्यू में प्रार्थी द्वारा वर्तमान [illegible] काबिज काश्तकार व खरीद कर काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया। इसलिए रिव्यू पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं और अगर उक्त रिव्यू का आदेश पारित कर रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

खारिज किया जाता है तो खरीद करने वाले पक्षकारों को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा उक्त कृषि भूमि को बहाल करने व राजस्व रिकॉर्ड में किश्तें जमा करवाकर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने विवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार राजस्व रावतसर व पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त सम्पूर्ण दस्तावेज जो कि जांच पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। उक्त अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं न ही किसी तथ्यों व दस्तावेजों को छुपाया हैं। क्रमांक/टी.आर.ए./खाता/19/213 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में स्पष्ट अंकन है कि सैल रजिस्टर चक नम्बर 109 आर.डी. में श्रीमान् सहायक जिलाधीश एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सुरतगढ आदेश दिनांक के द्वारा आवंटी को सुचित किए जाने के उपरान्त भी कब्जा नहीं लेने पर आंवटीत भुमि चक नम्बर 109 आर.डी. पत्थर नम्बर 50/15 किला नम्बर 1 ता 14 व पत्थर नम्बर 50/31 किला नम्बर 1 ता 25 कुल 39 बीघा अनकमाण्ड भुमि का आंवटन निरस्त किया गया है तथा निर्धारित समस्त किश्तें बकाया हैं। उक्त कृषि भुमि का कब्जा प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह का चला आ रहा था। प्रतापसिंह के फौत होने के बाद अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा थ। कब्जा काश्त अनुसार ही उक्त कृषि भुमि बहाल करने के आदेश पारित किये गये हैं। जो विधि सम्मत है अगर प्रार्थी को उक्त निर्णय से सन्तुस्टि नहीं है तो उक्त आदेश की अपील करनी चाहिए थी। रिव्यू का क्षेत्र सीमित हैं। और निर्णय में त्रुटि होने या अभिलेखों में कमियां होने पर ही अन्दर मियाद 30 दिन रिव्यू पेश किया जा सकता हैं जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्णयों में विवेचन किया गया हैं। इस प्रकार जबाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू सव्यय खारिज फरमायी जावें।''

दिनांक 08.10.2021 को प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया। जिसका राजपेरोकार ने जबाब प्रस्तुत किया। दिनांक 04.04.2022 को अप्रार्थी सं. 6 पर ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ को पक्षकार बनाया गया।

दिनांक 08.04.2022 को अप्रार्थी ओमप्रकाश ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में लिख कि '' रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के क्रमाक/टी. आर.ए./खाता/19/213 दिनांक 27.11.2019 द्वारा पटवारी हल्का रिर्पोट, रकबे की मौका व रिर्कोड की जांच करवाई जाकर सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी रावतसर को प्रेषित किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदा[illegible] रावतसर द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार जांच कर जसविन्द्र सिंह [illegible] जाति रामगढिया साकिन केरा चक को चक 109 आर. डी. में आवंटित भूमि का [illegible]जिस्टर में खाता खोलने एवं किश्ते जमा करवाने की स्वीकृति दी। उक्त आदेश श्रीमान[illegible]यालय द्वारा विधि सम्वत आदेश जारी किए गए है। रिव्यु की मद सं. 3 अस्वीकार हैं। तहसीलदार राजस्व रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

द्वारा दिनांक 27.11.2019 को तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार और प्रतापसिंह के वारिसान के कब्जा काश्त के अनुसार व सम्पुर्ण राशि राजकोश में जमा करवाने के पश्चात् उक्त कृषि भुमि चक 109 आर.डी. के प0न0 50/15 किला नं. 1 ता 14 की 14 बीघा व प0न0 50/31 के किला नं. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि को बहाल कर प्रतापसिंह के वारिसान अमरजीतकौर वगेरा के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। जब रकबा प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह के नाम आंवटन शुदा था और कब्जा काश्त अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहाल करने के आदेश दिए गए है और तहसीलदार(राजस्व) द्वारा सम्पुर्ण जांच कर कब्जा काश्त की रिर्पोट के अनुसार रकबा बहाल किया गया है। जो न्यायालय द्वारा जारी आदेश है। अगर तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को उक्त निर्णय बाबत् आदेश था तो उसी समय या आदेश की अपील अन्दर मियाद 30 दिन कर सकता था। परिसीमा अधिनियम की धारा 124 के तहत रिव्यु प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन हैं। उक्त आदेश का तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को निर्णय की दिनांक 2.12.2019 से ज्ञान है। लेकिन तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा ज्ञान होने के बावजुद और उक्त आदेश की न तो अपील पेश की है और न ही रिव्यु अन्डर मियाद पेश किया। 1 वर्ष 8 माह बाद रिव्यु पेश किया है जो अन्दर मियाद नही होने के कारण खारिज किया जावे। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार हैं। रिव्यु प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 अस्वीकार हैं। रिव्यु प्रस्तुत करने की मियाद आदेश या डिकी के विरूद 30 दिन नियत हैं। उक्त आदेश दिनांक 02.12.2019 को जारी किया गया हैं और रिव्यु दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश का ज्ञान तहसीलदार द्वारा राजस्व रावतसर को दिनांक 02.12.2019 से हैं और तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा उक्त कृषि भुमि बाबत् उच्च अधिकारीयों को जबाब प्रस्तुत किये हैं। इसलिए तहसीलदार राजस्व रावतसर को उक्त निर्णय दिनांक 01.12.2019 को भलीभांति ज्ञान था। आज तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त निर्णय का ज्ञान उपखण्डाधिकारी रावतसर के पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 23.07.2021 से हुआ। तहसीलदार राजस्व रावतसर को पूर्व में भी उक्त रकबा बहाली बाबत् जानकारी थी और निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत नहीं की और न ही रिव्यू प्रस्तुत किया। दिनांक 05.03.2021 पत्रांक राजस्व/2021/586 को उपखण्डाधिकारी रावतसर के द्वारा जारी लेटर पर दिनांक 22.03.2021 को क्रमांक/राजस्व/2021/219 दिनांक 19.03.2021 को तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा जबाब प्रेषित किया। इसलिए तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त निर्णय का ज्ञान दिनांक 23.07.2021 को हुआ हैं। अप्रार्थीगण अमरजीतकौर आदि को श्रीमान् न्यायालय द्वारा विधि सम्मत उक्त कृषि भूमि को बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त बहाली के पश्चात सम्पूर्ण किश्तें अप्रार्थी अमरजीतकौर द्वारा जमा कराई जाकर खातेदारी रकबा को अप्रार्थी ओमप्रकाश को बेचान किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कथन में लिखा कि प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह रामगढिया निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राज. के नाम से न्यायालय सहायक उपनिवेशन एवं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलैक्टर रा.न.यो. सुरतगढ के आंवटन क्रमांक 4350 दिनांक 05.04.1983 व तहसीलदार राजस्व रावतसर के आदेश क्रमांक टी आर ए/19/213 दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्रस्तावित आंवटीत रकबे को बहाल कर उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा स्वीकृत आदेश दिनांक 02.12.2019 की पालना में तहसीलदार राजस्व रावतसर के आदेश क्रमांक टीआरए/19/218 दिनांक 04.12.2019 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की पालना में जरिये इन्तकाल नम्बर 202 दिनांक 27.12.2019 से सिवाय चक काबिज काश्त से प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केरा चक गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ था तथा जरिये इन्तकाल नम्बर 204 दिनांक 07.02.2020 से उक्त रकबा खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ। उक्त रकबा जरिये बैयनामा इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.03.2020 से पत्थर नम्बर 50/31(7) के किला नम्बर 1 ता 10 की 2.530 हैक्टेयर तारामणी पत्नि उदाराम जाति जाट निवासी खेदासरी व पत्थर नम्बर 50/15(5) के किला नम्बर 1 ता 14 व पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 11 ता 25 की 7.3370 हैक्टेयर कृष्णा पत्नि इन्द्राज जाति जाट के रूप में दर्ज हुई। उक्त रकबा जरिये इन्तकाल नम्बर 210 दिनांक 05.08.2020 से पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 1 ता 10 रकबा 2.5300 हैक्टेयर बेचान से गुरनामा सिंह पुत्र करतारसिंह निवासी रावतसर के रूप में दर्ज हैं। इन्तकाल नम्बर 211 दिनांक 05.08.2020 से पत्थर नम्बर 50631(7) किला नम्बर 11 ता 25 रकबा 3.795 हैक्टेयर गुरमीतकौर पत्नि गुरनामसिंह निवासी रावतसर के रूप में दर्ज हैं व कृष्णादेवी पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी खेदासरी द्वारा चक नम्बर 109 आर.डी. के पत्थर नम्बर 50/15 (5) के किला नम्बर 1 ता 14 कुल 3.542 हैक्टेयर जरिये बैयनामा मुझ अप्रार्थी ओमप्रकाश तरड़ पुत्र भागीरथ निवासी रावतसर को बेचान कर दिया जो उक्त कृषि भुमि पर काबिज चला आ रहा हैं और फसल काश्त कर रखी है और बैयनामा का नामान्तरण प्रक्रियाधीन हैं। प्रार्थी तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा उपपंजीयक की हैसियत से सम्पूर्ण बैयनामें तस्दीक किये है और नामान्तरण भी दर्ज किऐ हैं। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार द्वारा यह कहना की उक्त कृषि भुमि बाबत् दिनांक 23.07.2021 को ज्ञात हुआ न्यायसंगत प्रतित नहीं होता है। सिर्फ उक्त रिव्यू को मियाद में लेने हेतू दर्ज की गई हैं। रिव्यू में प्रार्थी द्वारा वर्तमान में काबिज काश्तकार व खरीद कर काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया। इसलिए रिव्यू पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं और अगर उक्त रिव्यू का आदेश पारित कर रकबा खारिज किया जाता है तो खरीद करने वाले पक्षकारों को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा उक्त कृषि भुमि को बहाल करके राजस्व रिकॉर्ड में किस्में तथा भरवाकर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं । उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने कार्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार राजस्व रावतसर व पटवारी हल्का की रिपोर्ट व सम्पूर्ण दस्तावेज जो कि जांच पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। उक्त अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। न ही किसी तथ्यों व दस्तावेजों को छुपाया हैं। क्रमांक/टी.आर.ए. /खाता/19/213 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

किए गए प्रस्ताव में स्पष्ट अंकन है कि सैल रजिस्टर चक नम्बर 109 आर.डी. में श्रीमान् सहायक जिलाधीश एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सुरतगढ आदेश दिनांक के द्वारा आवंटी को सुचित किए जाने के उपरान्त भी कब्जा नहीं लेने पर आंवटित भुमि चक नम्बर 109 आर. डी. पत्थर नम्बर 50/15 किला नम्बर 1 ता 14 व पत्थर नम्बर 50/31 किला नम्बर 1 ता 25 कुल 39 बीघा अनकमाण्ड भुमि का आंवटन निरस्त किया गया है तथा निर्धारित समस्त किश्तें बकाया हैं। उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह का चला आ रहा था। प्रतापसिंह के फौत होने के बाद उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा था। कब्जा काश्त अनुसार ही उक्त कृषि भूमि बहाल करने के आदेश पारित किये गये हैं। जो विधि सम्मत है अगर प्रार्थी को उक्त निर्णय से सन्तुस्टि नहीं है तो उक्त आदेश की अपील करनी चाहिए थी। रिव्यू का क्षेत्र सीमित हैं। और निर्णय में त्रुटि होने या अभिलेखों में कमियां होने पर ही अन्दर मियाद 30 दिन रिव्यू पेश किया जा सकता हैं जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्णयों में विवेचन किया गया हैं। उक्त कृषि भुमि जसविन्द्र वगैरा द्वारा खातेदारी मिलने के पश्चात् कृष्णा पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी खैदासरी तहसील रावतसर को बेचान की गई मौका पर कब्जा सम्भला दिया। कृष्णा पत्नी इन्द्राज द्वारा उक्त कृषि भूमि को मुझ अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ साकिन रावतसर को बेचान की गई है मौका पर कब्जा मुझ ओमप्रकाश ने प्राप्त कर लिया है। और काबिज चला आ रहा हैं। अब अगर उक्त रकबा खारिज होता है तो अप्रार्थी को अपुर्णिय क्षति कारित होगी।'' इस प्रकार जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 16.01.2024 को राजपेरोकार ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में गुरनाम सिंह पुत्र करतारसिंह व गुरमीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह को पक्षकार बनाया जावे। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने अनापति पेश की। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर गुरनामसिंह पुत्र करतारसिंह व गुरमीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाये गये।

अप्रार्थीगण सं. 7, 8 ने जबाब पेश किया। अपने जबाब में लिखा कि '' प्रार्थी द्वारा ग्राम/चक 109 आर. डी. पटवार हल्का खेदासरी भू.अभि. नि. क्षेत्र खोडां तहसील रावतसर के खाता संख्या नया 62 पुराना 1 के प0नं0 50/31 मु0नं0 7 किला नं. 1 ता 10 में कुल किला 10 में कुल 2.530 है. अनकमाण्ड खातेदार भूमि तारामणी पत्नी उदाराम उम्र 37 वर्ष जाति जाट साकिन खेदासरी से दिनांक 24.07.2020 को खरीद की थी जिस पर मैं कब्जा काश्त हूं। गुरमीतकौर पत्नी गुरनामसिंह द्वारा [illegible] खाता संख्या नया 63 पुराना 62 के प0नं0 50/31 मु0नं0 7 किला नं0 1 [illegible] 25 कुल किला 15 में कुल 3. 7950 हैक्ट0 अनकमाण्ड खातेदार भूमि [illegible] जाति जाट निवासी खेदासरी से दिनांक 24.07.2020 को खरीद की गई जिस [illegible] भी हमारा कब्जा काश्त है। श्रीमान जी, यह भूमि हमारे द्वारा तहसील राजस्व रावतसर के रिकार्ड में दर्ज शुदा नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी भरकर वा जमाबन्दी वा इन्तकाल तहसील राजस्व रावतसर में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

के नियमानुसार खरीद की गई है। प्रार्थी द्वारा खरीद के कुछ समय बाद जैसे ही पता चला कि यह भूमि सरकारी भूमि है मगर भूमाफिया इन्द्राज वा राजाराम द्वारा सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों से मिलकर वा प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केरा चक के वारिस पुत्र जसविन्द्रसिंह वगैरह को साथ लेकर कूटरचित दस्तावेज सरकारी कार्मिकों से तैयार करवाकर तथ्यों को छुपाकर इस भूमि को रिकार्ड में दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा तहसील रावतसर कार्यालय वा हल्का पटवारी सतपाल से गहनता से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि जिन दस्तावेजों में रकबे को रिकार्ड में दर्ज किया गया है वह दस्तावेज तहसील कार्यालय वा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मे दर्ज रजिस्टर का अंकन नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करता देख अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी पर नोट दर्ज कर दिया गया। मूल पत्रावली में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा कार्यालय टिप्पणी संलग्न पत्रावली की गई कि वर्तमान में दोनों मूल फर्द अहकाम (निर्णय) पत्रावली में शामिल नहीं है यह टिप्पणी दिनांक 24.02.2016 को दर्ज की गई जबकि रकबे को तहसीलदार श्री कस्तुरीलाल द्वारा 2019 में दर्ज किया गया है। रकबे की मूल पत्रावली की नकल मय फर्द अहकाम (निर्णय) की सम्पूर्ण लाटरी प्रतापसिंह के पुत्र जसविन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 20.05.2013 को ही प्राप्त कर ली गई है। फर्द अहकाम जसविन्द्रसिंह वा अधिकारियो द्वारा इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह द्वारा या तो रकबा दूसरी जगह लिया गया है या फिर समस्त किश्त राशी मय ब्याज प्राप्त कर ली गई है। उदाराम पुत्र साहबराम निवासी खेदासरी द्वारा दिनांक 31.08.2015 को प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केराचक के 109 आर डी रकबे की आवंटन पत्रावली की सम्पूर्ण नकल चाही गई जो अभिलेखागार शाखा सूरतगढ द्वारा दिनांक 02.09.2015 को पत्रावली की नकल दी गई वा लिखा गया कि उदाराम को नकल देते समय पता चला कि पत्रावली में फर्द अहकाम (निर्णय) शामिल नहीं है। मूल पत्रावली से दोनों फर्द अहकाम (निर्णय) पत्रावली में शामिल नहीं है की सम्पूर्ण जानकारी प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह के वारिसों वा सरकारी कर्मचारी वा अधिकारियों तथा उदाराम जो तारामणी का पति वा इन्द्राज वा राजाराम का भाई है इन सभी को मालूम था। राकेश पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी खेदासरी जो उदाराम, इन्द्राज, राजाराम वगैरह का रिश्तेदार है जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जो उपखण्ड अधिकारी कार्यालय वा तहसील रावतसर के रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार सरकारी भूमि को गलत तरीके से रिकार्ड मे दर्ज करने वा करवाने वालों को सम्पूर्ण जानकारी इन सभी को थी। इन सभी द्वारा रकबे को गलत तरीके से रिकार्ड में दर्ज करवाकर मुझ प्रार्थी गुरनामसिंह वा पत्नी गुरमीतकौर के साथ लाखें रूपये की ठगी की गई है। मन प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय रावतसर द्वारा जारी क्रमांक (राजस्व)/2021 दिनांक 12.01.2022 को लिखित में दिया गया कि प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केराचक के नाम चक 109 आर डी तहसील रावतसर में किसी भी रकबे को इस न्यायालय द्वारा न तो बहाल किया गया है वा ना ही कोई खातेदारी जारी की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा आप जी के न्यायालय में पेश किये गये रिव्यू प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखा गया कि जिन दस्तावेजों से रकबा रिकार्ड मे दर्ज किया गया है उनका उपखण्ड कार्यालय रावतसर वा तहसील कार्यालय रावतसर मे दर्ज रजिस्टर अंकन नहीं है वा दिनांक 02.12.2019 को जारी खातेदारी अधिकार सनद यथा प्रस्तावित को निरस्त करने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीया द्वारा भी विनम्र निवेदन है कि यदि रकबा बहाली वा खातेदारी अधिकार नियमानुसार दर्ज है तो हमारे द्वारा खरीदशुदा भूमि की जमाबन्दी से नोट हटाने की कृपा करें। यदि खातेदारी अधिकार गलत तरीके से दर्ज कर रिकार्ड में दर्ज कर रकबा हमें बेचान किया गया है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार राजस्व रावतसर ने दस्तावेज प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 14.09.2021, प्रमाणित प्रति निर्णय 02.04.2019 अनवान जसविन्द्रसिंह बनाम सरकार ब अदालत राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ पेश किये।

राजपेरोकार व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। राजपेरोकार ने अपनी बहस में रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व तहसील रावतसर के चक 109 आरडी के प.न. 50/15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 कुल 39 बीघा अ.क. कृषि भूमि के यथाप्रस्तावित अंकन सहित राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक काबिल काश्त के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह के नाम का अंकन कर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारो का नामान्तरकरण करने तहसीलदार (राजस्व) आदेश दिनांक 02.12.2019 को दिये गये। हस्तगत प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के क्रमांक एफ.12 (12) (161) राजस्व/21/2961 दिनांक 18.08.2021 व श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय रावतसर के पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 23.07.2021 से ज्ञात हुआ है कि उक्त प्रकरण रकबा बहाली से सम्बधित था। श्रीमान न्यायालय में तहसीलदार राजस्व रावतसर के पत्रांक 213 दिनांक 27.11.2019 की प्रति अप्राप्त थी तथा चक 109 आरडी प.न. 50/15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अ.क. रकबा के बहाली आदेश का कोई अंकन श्रीमान न्यायालय में दर्ज रजिस्टर नहीं था और ना ही इस सम्बध में कोई दस्तावेज श्रीमान न्यायालय में उपलब्ध है। अतः हस्तगत यथाप्रस्तावित आदेश सन्देहास्पद है। श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय रावतसर के पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 23.07.2021 से ज्ञात हुआ कि मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर उक्त प्रकरण रकबा बहाली प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी चक को 109 आरडी के प.न. 50/15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अ.क. भूमि के आवंटन पत्रावली में आदेशिका संलग्न नहीं है। पत्रावली के अन्य दस्तावेजो में संलग्न कार्यालय टिप्पणी अनुसार उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित भूमि की पत्रावली काफी पुरानी होने से कागजात फट चुके है, का अंकन है। लेकिन श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को तहसीलदार राजस्व रावतसर के पत्र क्रमांक टी.आर.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

/19/213 दिनाक 27.11.2019 पर ही यथाप्रस्तावित अंकित कर आवंटित प्रश्नगत कृषि भूमि को बहाल कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये। साथ ही अप्रार्थी स. 2 द्वारा प्रस्तुत खातेदारी सनद क्रमांक 4350 दिनांक 05.04.1984 द्वारा श्रीमान एसीसी सुरतगढ के आधार पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये। चुकि प्रश्नगत रकबा राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक काबिल काश्त अंकित था तथा श्रीमान एसीसी सुरतगढ द्वारा आवंटी को आवंटित 39 बीघा अ.क. भूमि का कब्जा नही लेने पर आवंटन निरस्त किया गया था। इसके उपरान्त भी दिनांक 02.12.2019 को दिया गया आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके अलावा इस प्रकरण में यह भी है कि अप्रार्थी जसविन्द्रसिंह ने दिनांक 05.09.2016 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में रकबा बहाली हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2016 को भूमि रकबा राज होने एवं भूमि कब्जा नहीं लिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 14.09.2016 की अपील जसविन्दसिंह द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में की गई। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.2019 निर्णय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपील निरस्त कर दी गई थी।

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि "तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के क्रमाक/टी.आर.ए./खाता/19/213 दिनांक 27.11.2019 द्वारा पटवारी हल्का रिर्पोट, रकबे की मौका व रिर्कोड की जांच करवाई जाकर सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी रावतसर को प्रेषित किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार जांच कर जसविन्द्र सिह पुत्र प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया साकिन केरा चक को चक 109 आर. डी. में आंवटित भूमि का सैल रजिस्टर में खाता खोलने एवं किश्ते जमा करवाने की स्वीकृति दी। उक्त आदेश श्रीमान न्यायालय द्वारा विधि सम्वत आदेश जारी किए गए है। तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा दिनांक 27.11.2019 को तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार और प्रतापसिंह के वारिसान के कब्जा काश्त के अनुसार व सम्पूर्ण राशि राजकोश में जमा करवाने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि 39 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि को बहाल कर प्रतापसिंह के वारिसान अमरजीतकौर वगैरह के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। जब रकबा प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह के नाम आंवटन शुदा था और कब्जा काश्त अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहाल करने के आदेश दिए गए है और तहसीलदार(राजस्व) [illegible] जांच कर कब्जा काश्त की रिर्पोट के अनुसार रकबा बहाल किया गया है।

आदेश दिनांक 02.12.2019 की पालना में तहसीलदार [illegible] रावतसर के आदेश क्रमांक टीआरए/19/218 दिनांक 04.12.2019 से राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] ल दरामद की पालना में जरिये इन्तकाल नम्बर 202 दिनांक 27.12.2019 से सिवाय चक काबिज काश्त से प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह जाति रामगढिया निवासी केरा चक गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

था तथा जरिये इन्तकाल नम्बर 204 दिनांक 07.02.2020 से उक्त रकबा खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ। उक्त रकबा जरिये बैयनामा इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.03.2020 से पत्थर नम्बर 50/31(7) के किला नम्बर 1 ता 10 की 2.530 हैक्टेयर तारामणी पत्नि उदाराम जाति जाट निवासी खेदासरी व पत्थर नम्बर 50/15(5) के किला नम्बर 1 ता 14 व पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 11 ता 25 की 7.3370 हैक्टेयर कृष्णा पत्नि इन्द्राज जाति जाट के रूप में दर्ज हुई। उक्त रकबा जरिये इन्तकाल नम्बर 210 दिनांक 05.08.2020 से पत्थर नम्बर 50/31 (7) के किला नम्बर 1 ता 10 रकबा 2.5300 हैक्टेयर बेचान से गुरनामा सिंह पुत्र करतारसिंह निवासी रावतसर के रूप में दर्ज हैं। इन्तकाल नम्बर 211 दिनांक 05.08.2020 से पत्थर नम्बर 50߃31(7) किला नम्बर 11 ता 25 रकबा 3.795 हैक्टेयर गुरमीतकौर पत्नि गुरनामसिंह निवासी रावतसर के रूप में दर्ज हैं व कृष्णादेवी पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी खेदासरी द्वारा चक नम्बर 109 आर.डी. के पत्थर नम्बर 50/15 (5) के किला नम्बर 1 ता 14 कुल 3.542 हैक्टेयर जरिये बैयनामा मुझ अप्रार्थी ओमप्रकाश तरड़ पुत्र भागीरथ निवासी रावतसर को बेचान कर दिया जो उक्त कृषि भुमि पर काबिज चला आ रहा हैं और फसल काश्त कर रखी है और बैयनामा का नामान्तरण प्रक्रियाधीन हैं। प्रार्थी तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा उपपंजीयक की हैसियत से सम्पूर्ण बैयनामें तस्दीक किये है और नामान्तरण भी दर्ज किऐ हैं। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार द्वारा यह कहना की उक्त कृषि भूमि बाबत् दिनांक 23.07.2021 को ज्ञात हुआ न्यायसंगत प्रतित नहीं होता है। सिर्फ उक्त रिव्यू को मियाद में लेने हेतू दर्ज की गई हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 8, 9 ने अपने बहस में अपने जबाब के तथ्यो कों दोहराया।

वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि चक 109 आरडी की 39 बीघा भूमि ऐसीसी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.1982 को प्रतापसिंह पुत्र भागसिंह को आवंटित हुई थी। जिसका आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लेने की सूरत में आवंटन खारिज किया जा चुका है। अप्रार्थी जसविन्द्रसिंह ने दिनांक 05.09.2016 को एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रावतसर के न्यायालय में रकबा बहाली हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2016 को भूमि रकबा राज होने एवं भूमि कब्जा नहीं लिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 14.09.2016 की अपील जसविन्दसिंह द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में की गई। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.2019 निर्णय करते हु[illegible] यथावत रखते हुए अपील निरस्त कर दी गई थी। अप्रार्थी जसविन्द्रसिंह [illegible] उक[illegible]देश की अपील सक्षम न्यायालय में ना करते हुए गलत तरीक[illegible] को द्वारा रकबा बहाली के आदेश करवाये एंव गलत तरीके से भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आदेश दिनांक 02.12.2019 उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा जारी किया गया है लेकिन उपखण्ड कार्यालय से रकबा बहाली बाबत ऐसा कोई आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

Copy
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

जारी नहीं किया गया है। गलत तरीके से खातेदारी प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने वादग्रस्त भूमि को आगे अप्रार्थी सं. 6 ता 8 को बैय कर दिया है। जब अप्रार्थी सं. 1 ता 5 वादग्रस्त भूमि के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे तो उन्हे उक्त भूमि को बैय करने का भी कोई अधिकार हासिल नहीं था।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिव्यु स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 02.12.2019 को चक 109 आरडी प.न. 50/15 कि.न. 1 ता 14 की 14 बीघा व प.न. 50/31 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 39 बीघा अ.क. कृषि भूमि के संबंध में दिये गये रकबा बहाली व खातेदारी अधिकार के अंकन के आदेश को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद होने से पूर्व के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की स्थिति बहाल की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व रावतसर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 09.4.2024..... को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested